रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASADHA 7, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

सा.का.नि. 634(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजमार्ग प्रशासन, (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 में, -

(क) नियम 4 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग भूमि रजिस्टर के अतिरिक्त, प्रत्येक राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के भीतर स्थित भूमि, जिसकी स्वामी केंद्रीय सरकार है, की सभी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट अभिलेख अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररुप में इलैक्ट्रानिक रीति में, जिसे इलैक्ट्रानिक राजमार्ग भूमि रजिस्टर कहा जाएगा, में अनुरक्षित करेगा।

(4) इलैक्ट्रानिक राजमार्ग भूमि रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ क्रमानुसार संख्यांकित होगा और उक्त रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर यथास्थिति, अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करके रजिस्टर में अंतर्विष्ट पृष्ठों की संख्या को अधिप्रमाणित करेगा तथा वह समय-समय पर रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसमें की गई प्रविष्टियां सत्य और सही है।";

(ख) नियम 5 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) जहां, यथास्थिति, अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी राजमार्ग भूमि रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के आदेश करता है, वहां उस रजिस्टर में ऐसी शुद्धि राजमार्ग प्रशासन के संबंधित कर्मचारी द्वारा की जाएगी और ऐसे कर्मचारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा यथास्थिति, अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर लाल स्याही में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।";

(ग) नियम 6 में, खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) ऐसा व्यक्ति धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (i) और (ii) में यथावर्णित किसी चल संरचना से अन्यथा कोई संरचना नहीं बनाएगा या नहीं बनवाएगा :"

(घ) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए किराया और अन्य प्रभार – (1) राजमार्ग प्रशासन को केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर किराये के संदाय पर किसी व्यक्ति को अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा ।

(2) जहां अनुज्ञापत्र जारी करके प्रदत्त अनुज्ञा नवीकृत की जाती है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर किराए के संदाय पर अनुज्ञा का नवीकरण किया जाएगा ।";

(ड.) नियम 9 में, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"शर्त, जिसके अध्यधीन राजमार्ग को धारा 25 के अधीन कोई पट्टा या अनुज्ञप्ति प्रदत्त की जा सकेगी";

(च) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(14) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा हेतु आवेदन – किसी राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन ऐसे प्ररुप में होगा, जो अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट हैं और उसके साथ संबंधित राजमार्ग प्रशासन, जो ऐसे आवेदन का निपटान उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर करेगा, के पक्ष में 500 रुपये की फीस संलग्न की जाएगी ।

(छ) नियम 15 में खंड (i) निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) विनिर्दिष्ट अनुज्ञा धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में राजमार्ग प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समयावधि और प्रयोजनों के लिए होंगे;";

(ज) नियम 16 में, -

(i) उपनियम (2) में, "समाप्ति से पूर्व एक मास के भीतर आवेदन कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "समाप्ति की तारीख से एक मास पूर्व आवेदन कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां आवेदन अनुज्ञा के नवीकरण के लिए किया जाता है, वहां राजमार्ग प्रशासन ऐसे आवेदन पर अनुज्ञा की समाप्ति की तारीख से पूर्व विनिश्चय करेगा" ;

(झ) नियम 21 में, -

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति, -

(क) यान की निर्मुक्ति के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, कर रसीद या कोई अन्य दस्तावेजी साक्षय जो ऐसे यान के उसके स्वामित्व को सिद्ध करता हो, पेश करेगा ;

(ख) पशु की निर्मुक्ति के लिए, उसका विस्तृत वर्णन देगा या ऐसे पशु के उसके स्वामित्व को राजमार्ग प्रशासन के समाधानप्रद सिद्ध करने के लिए कोई अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्षय पेश करेगा ।";

(ii) उपनियम (5) में, " किसी पशु के अदावाकृत रहने की दशा में " शब्दों के स्थान पर " यदि कोई पशु उस तारीख से जब पशु को अभिरक्षा में लिया गया है दस दिन तक अदावाकृत रहता है तो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ञ) नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अध्याय 5

निर्माण के लिए आवेदन का प्ररुप, फीस और अन्य प्रभार";

(ट) नियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अध्याय 6

प्रकीर्ण

(ठ) नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"27. **शिकायत का निवारण** – केंद्रीय सरकार शिकायतों के निवारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी, जो इसके जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

28. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए इन नियमों के किसी भी उपबंध के शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. एनएच-11014/3/2016–पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 700(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद सं. का.आ. 2171(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2016

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Highway Administration Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Highway Administration (Amendment) Rules, 2016;

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Highway Administration Rules, 2004,—

   (A) in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely :-

   "(3) In addition to the Highway Land Register specified in sub-rule (1), every Highway Administration shall maintain a record containing all the particulars of the land situated within the jurisdiction of the Highway Administration of which the Central Government is the owner, in the form specified in the Schedule I in electronic mode to be called as the Electronic Highway Land Register.

   (4) Every page of the Electronic Highway Land Register shall be consecutively numbered and on the first page of the said Register, the Officer or the Senior Officer, as the case may be, shall

authenticate the number of pages which the Register contains by appending his digital signature and he shall, from time to time, inspect the Register and ensure that the entries made therein are true and correct.";

(B) in rule 5, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

" (2) Where the Officer or the Senior Officer, as the case may be, orders to correct any entry in the Highway Land Register, such correction shall be made in that Register by the concerned official of the Highway Administration and it shall also be signed by such official and counter-signed in red ink by the Officer or the Senior Officer, as the case may be, within 7 days from the date of the order.";

(C) in rule 6, for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) that such person shall not make or cause to be made any structure other than a movable structure as mentioned in clauses (i) and (ii) of sub-section (2) of section 24;"

(D) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Rent and other charges for issuing permit.—(1) The permit shall be issued to a person on payment of rent to the Highway Administration at the rate specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the permission granted by issuing the permit is renewed, the renewal of the permission shall be made on payment of rent at the rate specified by the Central Government from time to time.";

(E) in rule 9, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Condition subject to which a lease or license of Highway may be granted under section 25'';

(F) for rule 14, the following rule shall be substituted, namely :-

"(14) Application for specific permission to access to Highway. – The application for obtaining specific permission for access to any Highway under sub-section (2) of section 29 shall be in such Form as is specified in Schedule V and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred drawn in favour of the concerned Highway Administration, who shall dispose of such application within 30 days from the date of its receipt by him.";

(G) in rule 15, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-

"(i) that the specific permission shall be for the period of time and purposes as specified by the Highway Administration in the licence issued under sub-section (3) of section 29;";

(H) in rule 16,-

(i) in sub-rule (2), for the words "make an application within one month before the", the words "make an application before one month of the date of" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that where an application has been made for renewal of the permission, the Highway Administration, shall take a decision on such application before the date of expiry of the permission.";

(I) in rule 21,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) The person making an application under sub-rule (1) shall,–

(a) for release of the vehicle, produce certificate of registration, tax receipt or any other documentary evidence which proves his ownership of such vehicle;

(b) for release of the animal, give its detailed description or produce any other oral or documentary evidence for proving his ownership of such animal, to the satisfaction of the Highway Administration.";

(ii) in sub-rule (5), for the words, "If an animal remains unclaimed,", the words "If any animal remains unclaimed for 10 days from the date on which the animal has been taken into custody," shall be substituted;

(J) after rule 21, the following headings shall be inserted, namely :-

"CHAPTER V

FORM OF APPLICATION, FEES AND OTHER CHARGES FOR CONSTRUCTION";

(K) after rule 23, the following headings shall be inserted, namely :-

"CHAPTER VI

MISCELLANEOUS".

(L) after rule 26, the following rules shall be inserted, namely;

"27. Redressal of grievance.—The Central Government may issue guidelines to redress the grievances which shall be effective from the date of its issue.

28. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules.".

[F. No. NH-11014/3/2016-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note : The Principal Highway Administration Rules, 2004 were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 700(E) dated, the 20th October, 2004 subsequently amended vide number S.O. 2171(E) dated, the 24th December, 2007.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.